भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1382

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली में अवैध निर्माण

1382. श्री राजेश वर्माः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की रिपोर्ट मिली है कि बिल्डरों और अधिकारियों की मिली भगत से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागों में अवैध निर्माण की गतिविधियां चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के कब तक कराए जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग): नई दिल्ली नगर परिषद् (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र में किसी अप्राधिकृत निर्माण संबंधी गतिविधि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जब कभी किसी प्रकार का अप्राधिकृत निर्माण दिखाई देता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन विभाग के अधिकारी भी एनडीएमसी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं।

दिल्ली छावनी बोर्ड ने सूचित किया है कि यह सभी अप्राधिकृत निर्माणों पर छावनी अधिनियम, 2006 और सार्वजनिक संपत्ति बेदखली अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत समयोपरि कार्रवाई करता है।

स्थानीय निकाय निदेशालय (सभी तीन दिल्ली नगर निगमों का नोडल विभाग) ने सूचित किया है कि दोषी कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए प्रत्येक दिल्ली नगर निगम अर्थात् उत्तर, दक्षिण और पूर्व में सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है। अवैध निर्माण संबंधी शिकायतों की प्रारम्भिक जांच/ पूछताछ के दौरान, यदि कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मौजूदा नियमों के अन्तर्गत नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

(घ) : स्थानीय निकाय निदेशालय ने सूचित किया है कि जब कभी क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण देखा जाता है तो संबंधित क्षेत्र के संबंधित नगर निगमों के भवन विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के विभिन्न प्रावधानों के तहत उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

नई दिल्ली नगर परिषद् (एनडीएमसी) द्वारा कोई भी शिकायत, जो स्वतः संबंधित अधिकारी को भेजी जाती है, पंजीकृत करने हेतु जनता के लिए अपनी मोबाइल एप 'एनडीएमसी 311' शुरू किया गया है। संबंधित अधिकारी और शिकायतकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का भी निरीक्षण किया जाता है।